बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

संख्या–3/ब.2–10–24/2019 गृ0आ0................../ बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम–7, 2007) की धारा 55 सह–पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड I एवं खण्ड III के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते है :–

1. खण्ड I नियम 658 (V) (क) निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"(क) ऊँचाई एवं सीना–उम्मीद्वारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की पात्रता प्राप्त होना आवश्यक होगा:–

कोटि	ऊँचाई	सीना	
	न्यूनतम	न्यूनतम बिना फुलाए	फुलाकर
अनारक्षित, पिछडा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	165 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अत्यन्त पिछडा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए	155 से.मी.	लागू नहीं	लागू नहीं
फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 से.मी. का अन्तर होना अनिवार्य होगा।			
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 कि.ग्रा. होना आवश्यक है।			

"नियम 658 (V) (ग) " वाक्य एवं शब्द" महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई न्यूनतम 160से.मी. तथा वजन न्यूनतम 48 कि.ग्रा. होना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई न्यूनतम 155 से.मी. होनी चाहिए। महिलओं के सीना की माप नहीं की जायेगी। साथ ही" को विलोपित किया जाता है।

2. खण्ड III के परिशिष्ट 71 में उल्लिखित बिहार पुलिस सेवा में भर्ती की प्रणाली विनियमित करने के लिए नियमावली के शारीरिक क्षमता से संबंधित कंडिका–3 के प्रावधान को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"3. शारीरिक क्षमता–

कोटि	ऊँचाई	सीना	
	न्यूनतम	न्यूनतम बिना फुलाए	फुलाकर
अनारक्षित, पिछडा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	165 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अत्यन्त पिछडा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियं के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए	155 से.मी.	लागू नहीं	लागू नहीं
फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 से.मी. का अन्तर होना अनिवार्य होगा।			
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 कि.ग्रा. होना आवश्यक है।			

" 3. खण्ड III परिशिष्ट 103 कंडिका 5(क) एवं 5(ख) निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"(क) ऊँचाई एवं सीना–

कोटि	ऊँचाई	सीना	
	न्यूनतम	न्यूनतम बिना फुलाये	न्यूनतम फुलाकर
अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	165 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस–01 गोरखा बटालियन में) के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
सभी वर्गो की महिला उम्मीदवारों के लिए	155 से.मी.	लागू नहीं	लागू नहीं
फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 05 से.मी. का अंतर होना अनिवार्य होगा।			
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 कि.ग्रा. होना आवश्यक है।			

"(ख) विलोपित।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 8/ब.2–10–24/2019 गृ0आ0 /पटना, दिनांक..............................,2019

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित–

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 8/ब.2–10–24/2019 गृ0आ0 9186 /पटना, दिनांक 5.11. 2019

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला जिलाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव